CCHR
Chicago Commission
on Human Relations

हाउसिंग चॉइस वॉउचर (धारा 8)

इसे अनदेखा न करें- इसकी रिपोर्ट करें!

शिकागो का फेयर हाउसिंग ऑर्डिनेंस उन लोगों के खिलाफ भेदभाव किए जाने का निषेध करता है, जो आवास की लागत में राहत पाने के लिए हाउसिंग चॉइस वाउचर (यानी धारा 8) का उपयोग किसी आय-स्रोत के रूप में करते हैं।

उदाहरण के लिए, यह ऑर्डिनेंस का उल्लंघन है जब:

- किसी भिन्न प्रकार से पात्र व्यक्ति को किराए पर देने से इसलिए मना किया जाए कि वह व्यक्ति किराए पर आवास लेने की लागत में राहत पाने के लिए हाउसिंग चॉइस वाउचर का उपयोग करेगा।
- हाउसिंग चॉइस वाउचर प्रोग्राम की प्रशासनिक आवश्यकताओं, जैसे कि कागजी कार्रवाई पूरा करने और संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति देने में सहयोग करने से इनकार किया जाए।
- किराए पर आवास देने के लिए ऐसे साइन बोर्ड लगाना, इलेक्ट्रॉनिक या समाचार-पत्र विज्ञापन देना, या फिर अन्य प्रकार का विज्ञापन करना, जिसमें "कोई धारा 8 नहीं," "धारा 8 अनुमोदित नहीं," या इसी से मिलती-जुलती भाषा का प्रयोग किया जाए।

अगर आपको लगता है कि आप इसलिए आवासीय भेदभाव का शिकार रहे हैं कि आपके पास एक हाउसिंग चॉइस वाउचर (धारा 8) मौजूद है, तो इसे अनदेखा न करें, इसकी रिपोर्ट CCHR को करें।

हमसे (312) 744-5879 पर संपर्क करें
ईमेल: cchr@cityofchicago.org

वेबसाइट: Chicago.gov/cchr
@ChicagoCHR
@ChiCCHR

Lori E. Lightfoot
शिकागो के मेयर